

—: राजस्थान सरकार—

## न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-47 / 2023

(जीसीएमएस नं0 2023/83)

उनवान —सरकार बनाम विनोद पुत्र श्री महेशचंद, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी गुलाब बाग, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक —29.01.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री राजेन्द्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री विनोद पुत्र श्री महेशचंद, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी गुलाब बाग, धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 40 किलोग्राम घेवर आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त घेवर में मिलावट का शक होने पर उक्त घेवर में से 02 किलोग्राम घेवर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त घेवर नमूना डी-2936 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1124/एसीटी/2023/1169 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया घेवर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड घेवर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड घेवर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री विनोद पुत्र श्री महेशचंद, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य, मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार, गुलाब बाग, धौलपुर निवासी गुलाब बाग, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 20000/-रुपये ( बीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Gm

( ब्रह्मलाल जाट )

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर(राज0)